सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 27, गुरूवार, शाके 1944-अगस्त 18, 2022 *Sravana 27, Thursday , Saka 1944- August 18, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, अगस्त 12, 2022

एस.ओ.83 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.2(45)वित्त/कर/2009-11 दिनांक 15.07.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 15, 2022

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि मेट्रो एनक्लेव, दुर्गापुरा, जयपुर की भूमि का जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड से जयपुर विकास प्राधिकरण को अंतरण से संबंधित लिखत पर उपर्युक्त भूमि के बाजार मूल्य की एक सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक की रकम पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

[सं.प.2(45)वित्त/कर/2009-11]

राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,

संयुक्त शासन सचिव"

Government Central Press, Jaipur.